(ग) यदि नहीं, तो कितने किसान शेष रह गए हैं और उन्हें कब तक मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) क्या विस्थापित के पुनर्वास के लिए दी गई भूमि का समुचित विकास कर लिया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक कर लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.12.96 तक 26,495 किसानों को 154.59 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया है।

शेष जितने किसानों को मुआवजा दिया जाना है उनकी सही संख्या का पता नहीं लगाया गया है परन्तु शेष सभी किसानों को वर्ष 2002 तक मुआवजा देने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) जी, हां।

राढू सिंचाई परियोजना

2713. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रांची जिले में राढू सिंचाई परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त परियोजना का सर्वेक्षण कार्य सात वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था जिससे 42 हजार 240 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने उक्त परियोजना को छह वर्ष पूर्व केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार जनजाति क्षेत्र की इस परियोजना को कब तक स्वीकृति देगी और प्रारंभ करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग में राढु सिंचाई परियोजना के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 11,116 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र के लिए राढ़ सिंचाई परियोजना पर एक प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में सितम्बर, 1989 में प्राप्त हुआ था। जांच के बाद, परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। राज्य सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

Polavaram Project

2714. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI V. HANUMANTHA RAO:
SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the progress made so far of the Polavaram Project in the Andhra Pradesh;

(b) the measures taken for early execution of the project; and

(c) the maximum storage capacity of the proposed Polavaram Project?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) The State Government of Andhra Pradesh is required to submit the modified Project Report of Polavaram Project for techno-economic appraisal after obtaining concurrence of the Governments of Madhya Pradesh and Orissa for submergence in their areas. The storage capacity of the proposed Polavaram Project is 5511 Million Cubic Metre (194.6 Thousand Million Cubic Feet) at full reservoir level of 45.72 Metre (150 feet).

Budget for Central Water Commission

2715. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the budget for Central Water Commission for 1997-98;

(b) whether CWC works on a cost-benefit basis;

(c) whether CWC has developed any alternate flood control plan on the river Godavari in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR

MISHRA): (a) The budget provision of Central Water Commission for the year 1997-98 is Rs. 103.12 crroes.

(b) No, Sir.

(c) and (d) The Rashtriya Barh Ayog had recommended, in its report, a number of non-structural measures including Flood Forecasting, Flood Damage Mitigation and Flood Plain Zoning measures for flood management for the country as a whole which are applicable for Godavari basin of Andhra Pradesh also. Central Water Commission has been pursuing the State Governments including Andhra Pradesh for laying proper emphasis on these measures for follow up action.

Also Central Water Commission has established 13 flood forecasting stations on Godavari River System which assist the State Government Authorities in their flood management efforts.

सिंचाई संसाधनों के खराब रख-रखाव पर किसानों को कानूनी सहायता

2716. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "लीगल सपोर्ट टू फार्मर्ज़" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सिंचाई संसाधनों के उपयोग में भारी क्षति सिंचाई-संसाधनों के रख-रखाव की दयनीय दशा और भ्रष्टाचार के कारण होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस आकलन का क्या परिणाम रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई प्रणालियों का अपर्याप्त अनुरक्षण और खराब प्रबंध सृजित सिंचाई सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग न किए जाने के लिए उत्तरदायी है। इस स्थिति के मुख्य कारण सिंचाई स्कीमों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का अपर्याप्त प्रावधान और सिंचाई प्रणालियों के प्रबंध में किसानों की भागीदारी की कमी होना है। राज्य सरकारों को इस संबंध में सुधारात्मक उपाय प्रारंभ करने की सलाह समय-समय पर दी जाती है।

मध्य प्रदेश में जल दरों को तर्क संगत बनाना

2717. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय सिंचाई जल की जिला-वार दर क्या है और अंतिम बार इसका संशोधन कब किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान जल दरें अत्यंत अलाभकर हैं और इनसे प्राप्त होने वाली राशि से इसके रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी पूरा नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने अलाभकर जल दर संरचना की समस्या की जांच की है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) राज्य सरकार के परामर्श से दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई उद्देश्यों के लिए जिला-वार जल दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। फसल-वार जल दरें पूरे राज्य में एक समान रूप से उगाही जा रही हैं। 1.4.1983 से प्रभावी जल दरें मध्य प्रदेश सरकार की 30.9.1992 की अधिसूचना के तहत् 1.10.1992 से संशोधित की गई थीं। तथापि, यह अधिसूचना राज्य सरकार की 30.4.1993 की अधिसूचना के तहत् रद्द कर दी गई थी जिसमें विवरण में दिये गये, (नीचे देखिए) अनुसार जल दरों में संशोधन किया गया।

(ख) से (ङ) सिंचाई द्वारा प्राप्त राजस्व और संबंधित प्रभारों और सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण की लागत के बीच अन्तर है। योजना आयोग ने देश में जल की लागत निर्धारण करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1991 में सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण करने संबंधी समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत की थी जिसमें सिंचाई जल दरों को युक्तियुक्त बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए